



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

फॉर्म का मूल्य 200/-

विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय हेतु वाहन
स्टेण्ड निविदा आवेदन पत्र (2025-26)

आवेदन संख्या 2025. .

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता का नाम.....
3. जाति.....
4. जन्म तिथी
5. पूर्ण पता.....
.....
6. मोबाईल नम्बर.....
7. आधार कार्ड नम्बर.....
8. पेनकार्ड नम्बर.....
9. आवेदन पत्र की रसीद संख्या..... दिनांक
10. धरोहर राशि 10000/- रुपये रसीद/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत दर.....रुपये प्रति नियमित विद्यार्थी प्रति वर्ष होगी।

मुझे निविदा हेतु वि वि द्वारा निर्धारित सभी शर्तें स्वीकार है।

उदयपुर

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

वाहन स्थल ठेका शर्तें सत्र 2025-26

1. नवीन सत्र 2025-26 हेतु टेण्डर की अवधि टेण्डर खुलने पर कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 जून 2026 तक रहेगी।
2. नियमित विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत न्यूनतम टेण्डर (ठेका) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जायेगा।
3. ठेका अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 30 जून, 2026 तक की होगी।
4. ठेकेदार स्वयं स्टेण्ड पर प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक कार्यालय के निर्धारित समय से 1/2 घण्टा पूर्व एवं 1/2 घण्टा बाद तक रहेगा एवं विशेष समय में जिम्मेदार व्यक्ति को स्टेण्ड पर नियुक्त करेगा न कि बाल श्रमिक को।
5. यह कि ठेकेदार रुपये दस हजार मात्र धरोहर के रूप में जमा करायेगा।
6. किसी वाहन के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा नहीं करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि ठेकेदार की देय राशि में से कमेटी की अनुशंसा अनुसार काटकर भुगतान कर दिया जायेगा।
7. संस्थान के कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
8. ठेके की राशि का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। भुगतान पर नियमानुसार TDS काटा जायेगा।
9. ठेकेदार बीच में ठेका किसी भी कारणवश छोड़कर जायेगा तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार बीच में ठेका छोड़कर जायेगा तो अधिष्ठाता को एक माह पूर्व लिखित में सूचना देगा और यदि ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं होगा तो ठेकेदार को ठेका समाप्त करने की सूचना अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा 15 दिवस पूर्व दे दी जायेगी।
11. यदि बिना सूचना दिये स्टेण्ड छोड़कर जायेगा और किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार होगा।
12. ठेकेदार को समय-समय पर संस्थान में होने वाले समारोह आदि के दौरान उपस्थित रहना होगा और जब तक समारोह समाप्त नहीं हो जाता वाहनों की निगरानी करनी होगी।
13. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्वयंपाठी विद्यार्थियों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः महाविद्यालय द्वारा भी ठेकेदार को इस निमित्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे सी.ए. आदि अवकाश के दिनों में होगी तो ठेकेदार को आना होगा तथा छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
15. महाविद्यालय का कार स्टेण्ड जो कि विश्वविद्यालय के वाहन स्थल के समीप है, के लिये भी एक अतिरिक्त व्यक्ति अनिवार्यतः नियुक्त करना होगा। वाहन स्थल को साफ एवं स्वच्छ रखना होगा।

Contd.2.

16. यदि किन्हीं कारणों से कोरोना /अन्य विषम परिस्थितियों के कारण पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के नहीं आने की स्थिति में साइकिल स्टेण्ड संचालक को SFAB के द्वारा निर्धारित चौकीदार की दर 9000/- रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। यह शर्त महाविद्यालय के एक माह या इससे अधिक समय तक बन्द होने पर ही लागू होगी।



अधिष्ठाता

अधिष्ठाता द्वारा जारी वाहन ठेका शर्तें 2025-26 की उक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है

आवेदक के हस्ताक्षर